न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व मूल वाद संख्याः– 25 / 2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.जयदीप मेहता पुत्र श्री अर्जुनराम जाति ओसवाल निवासी मकान नम्बर 1 बी अमर नगर पाल रोड जोधपुर।		01,ओमाराम पुत्र श्री गोकलराम और दावे मे अकित 2 से 15 प्रतिवादीगण समस्त वगैरा । 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति –

01.वादी की और से अधिवक्ता अमरसिह चौधरी उपस्थित

02.प्रतिवादीगण सूचना के बावजुद उपस्थित नही।

आदेश

दिनाक 15/10/2024

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 12.08.2024 को किया गया एव तहसीलदार झंवर को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार झंवर के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 07.10.2024 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम नारनाडी के खसरा नम्बर 25 रकबा 2.0963 हैक्टर भूमि मे नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार झंवर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 07.10.2024 मय मौका फर्द दिनाक 30.09.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है–

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	लगान	किस्म
A	01.जयदीप मेहता पुत्र अर्जुनराम जाति ओसवाल सा देह जोधपुर खातेदार	25	0.2620	0.33	बारानी तृतीय
		01	0.2620	0.33	बारानी तृतीय
B	01,इन्द्रा पुत्री पुरखाराम का हिस्सा 416 / 18343 02.बाबुराम पुत्र पुरखाराम का हिस्सा 416 / 18343 03.भंवरी पुत्री पुरखाराम का हिस्सा 416 / 18343 04.मीमा पुत्री पुरखाराम का हिस्सा 416 / 18343 05.मोहनी देवी पुत्री पुरखाराम का हिस्सा 416 / 18343 06.रूपी देवी पुत्री पुरखाराम का हिस्सा 416 / 18343 07.रूकमी देवी पत्नि पुरखाराम का हिस्सा 416 / 18343 08.जसोदा पुत्री गोपाराम का हिस्सा 2911 / 55029 09.मुकेश पुत्र गोपाराम का हिस्सा 2911 / 55029 10.रामुडी पत्नि गोपाराम का हिस्सा 2911 / 55029 11.रूकमी पुत्री गोकलराम का हिस्सा 292 / 18343 12.भीखी पुत्री गोकलराम का हिस्सा 292 / 18343 13.करनराम पुत्र गोकलराम का हिस्सा 292 / 18343 14.ओमाराम पुत्र गोकलराम का हिस्सा 2911 / 18343 15.देवाराम पुत्र गोकलराम का हिस्सा 2911 / 18343 16.नारायणराम पुत्र गोकलराम का हिस्सा 2911 / 18343 17.हीराराम पुत्र गोकलराम का हिस्सा 2911 / 18343 जाति पटेल सा,देह खातेदार।	25	1.8343	2.27	बारानी तृतीय
		01	1.8343	2.27	बारानी तृतीय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 30.09.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 30.09.2024 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार झंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 25 / 2024

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.जयदीप मेहता पुत्र श्री अर्जुनराम जाति ओसवाल निवासी मकान नम्बर 1 बी अमर नगर पाल रोड जोधपुर।		01,ओमाराम पुत्र श्री गोकलराम और दावे मे अकित 2 से 15 प्रतिवादीगण समस्त वगैरा । 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 25 / 2024 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 30.09.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे।

नीज...मुबलिक...............................बाबत.................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.................... ....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 15/10/2024 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्धाई	रूपया	पै.	मुद्धायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्आम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाच न			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी